न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–55/2018
CIS NO. TS 81/2019

ललन प्रसाद.....वादी

बनाम

आनन्द वर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
05.03.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.01.2024 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से दिनांक 25.01.2024 को आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि वादी ने वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–01 अर्जी नालिश पर अपने हकियत की घोषणा दखल कब्जें की सम्पूष्टि के साथ तथाकथित बयनामा दस्तावेज दिनांक 18.11.2017/20.11.2017 को बेकार, बेअसर एवं शुन्य घोषित करने के साथ अन्य अनुतोषों हेतु दाखिल किया है। वादग्रस्त खेसरा–600 का कुल खतियान रकबा 16 कट्ठा 12 धुर है जो मोहन प्रसाद, ललन प्रसाद एवं रमेश प्रसाद के बीच आपसी बंटवारें में 10 कट्ठा 06 धुर वादी को मिला तथा 06 कट्ठा 06 धुर मोहन प्रसाद के हिस्से में अन्य भूमि के साथ मिला। वादग्रस्त खेसरा में रमेश प्रसाद को कोई हक हिस्सा नही मिला था बल्कि उनको अन्य खेसरा की भूमि हक एवं हिस्से में मिली थी। खेसरा–600 में मोहन प्रसाद ने अपने हिस्से की कुल भूमि बिक्री कर दिया है जिस पर बयदार का दखल कब्जा है। वादग्रस्त भूमि वादी के खास दखल कब्जें में चला आ रहा है। मोहन प्रसाद वर्ष 2014 में अपनी पत्नी मु0 उषा कुअँर एवं दो पुत्र दीपक कुमार एवं दीपु कुमार को छोडकर मर गये। मोहन प्रसाद के मरने के बाद दीपक कुमार एवं दीपु कुमार अपनी माँ उषा कुअँर के बहकावे में वादग्रस्त भूमि एवं उपरोक्त खेसरा का अन्य अंश मिलाकर दो किता फर्जी बयनामा दस्तावेज दिनांक 18.08.2023/19.08.2023 दीपक	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–55/2018</u>
<u>CIS NO. TS 81/2019</u>

ललन प्रसाद.....वादी

बनाम

आनन्द वर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.03.2024	कुमार एवं दीपु कुमार बनाम आदित्य कुमार 01 कट्ठा 10 धुर तथा दस्तावेज दिनांक 19.08.2023/29.08.2023 बनाम तबारक हुसैन निष्पादित कर दिये। वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त खेसरा या वादग्रस्त भूमि पर मोहन प्रसाद एवं उनके वारिसानों का कोई हकियत एवं दखल कब्जा नही था। अतः दस्तावेज के आधार पर आदित्य कुमार एवं तबारक हुसैन को हकियत एवं कब्जा प्राप्त नही हुआ लेकिन विक्रेता एवं खरीददार प्रस्तुत वाद के आवश्यक एवं उचित पक्षकार है लेहाजा इनको पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाने का आदेश देने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् का सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्त दिनांक 22.02.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादी द्वारा जानबुझकर प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से आवेदन दाखिल किया गया है। वादी ललन प्रसाद, प्रतिवादी सं0–02 रमेश प्रसाद तथा स्व0 मोहन प्रसाद सगे भाई है। वादी द्वारा जानबुझकर वाद दाखिल करते समय अपने सगे भाई मोहन प्रसाद के वारिसानों को पक्षकार नही बनाया गया था। स्व0 मोहन प्रसाद के वारिसानों को वर्तमान में वादी द्वारा पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। बिक्री की गयी भूमि वादी के हिस्से की भूमि नही है। स्व0 मोहन प्रसाद के लडकों द्वारा अपने हिस्से की भूमि की बिक्री की गयी है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदन में वर्णित दीपक कुमार एवं दीपु कुमार के द्वारा वादग्रस्त खाता–112 खेसरा–600 की भूमि का विक्रय किया गया है। वादी द्वारा खेसरा–600 की भूमि बंटवारे में	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–55/2018</u>
<u>CIS NO. TS 81/2019</u>

ललन प्रसाद.....वादी

बनाम

आनन्द वर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.03.2024	मिला होना बताया है तथा दीपक कुमार, दीपु कुमार एवं मु0 उषा देवी सभी मृतक मोहन प्रसाद के वारिसान है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0–02 मृतक मोहन प्रसाद के अपने सगे भाई है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। विक्रेतागण एवं क्रेतागण प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है। वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में दोनो विक्रय विलेख की छायाप्रति भी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 25.01.2024 को स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन में वर्णित विक्रेतागण एवं क्रेतागणों को प्रतिवादी कॉलम में क्रमानुसार पक्षकार बनावें। वाद दिनांक 22.03.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	